<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०) , झाँसी ।</u>

उपस्थितः- जितेन्द्र यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा)

I. D. No. - UP2662

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 1672/ 2025

सरकार बनाम मोहम्मद हमीद ।

धारा- 135 विद्युत अधिनियम ।

थाना- एण्टी पावर थेफ्ट, जिला झाँसी ।

अ०सं०- 2005/ 2021

<u>दिनांक- 08- 04- 2026</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई । अभियुक्त **मोहम्मद हमीद** पुत्र इशाक, निवासी- भाण्डेरी गेट बाहर नियर बम्बाईया बोरिंग झाँसी के विरूद्ध धारा - 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है । विद्युत विभाग द्वारा पत्रांक / प्रार्थनापत्र कागज संख्या- 15 ए इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त ने धारा - 152 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत शमन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण की धनराशि जमा कर दी है । वाद का निस्तारण करने में विद्युत विभाग को कोई आपत्ति नहीं है । अतः वाद की कार्यवाही के निस्तारण में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है । अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है ।

अभियुक्त द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि शपथकर्ता के आधार कार्ड पर शपथकर्ता के पुश्तैनी मकान का पता 43, भाण्डेरी गेट अन्दर जिला झाँसी अंकित है । जबकि शपथकर्ता ने अपना स्वयं का मकान बाहर भाण्डेरी गेट पर निर्माण कराया है । जिस मकान के सम्बन्ध में उक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया है । शपथकर्ता वर्तमान में बाहर भाण्डेरी गेट स्थित मकान में निवास कर रहा है । उक्त प्रकरण में शपथकर्ता द्वारा मामले में सम्पूर्ण धनराशि विद्युत विभाग को जमा कर एनओसी प्राप्त कर ली है । उक्त मामले का निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । शपथकर्ता द्वारा दी गयी शपथपत्र में दी गयी कोई जानकारी गलत पायी जाती है इसकी पूरी जिम्मेदारी शपथकर्ता की होगी ।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री राजेन्द्र कुमार रावत द्वारा उपरोक्त पत्रांक को अग्रसारित किया गया है ।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया ।

प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्व धारा- 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है । कागज संख्या - 15 ए के अनुसार आवेदक/ अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण धनराशि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता , वाणिज्यिक- प्रथम सुकुवां ढुकुवां कॉलोनी सिविल लाईन झाँसी के कार्यालय में जमा करायी जा चुकी है । वाद का निस्तारण करने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है ।

अतः आवेदक/ अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क एवं राजस्व की सम्पूर्ण धनराशि जमा कर देने के कारण विद्युत अधिनियम की धारा- 152(2) के अनुसार उक्त अपराध का शमन हो गया है एवं उपरोक्त प्रकरण में आवेदक / अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है । अतः वाद की

Digitally signed by JITENDRA YADAV
Date: 2026.04.08 17:18:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है। तदनुसार , उपरोक्त पत्रांक के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

विद्युत विभाग का पत्रांक/ प्रार्थनापत्र कागज संख्या- 15 ए स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षों के मध्य शमन के आधार पर आवेदक / अभियुक्त **मोहम्मद हमीद** पुत्र इशाक, निवासी- भाण्डेरी गेट बाहर नियर बम्बाईया बोरिंग झाँसी को दोषमुक्त किया जाता है। कागज संख्या- 15 ए के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार अभिसंचित हो ।

दिनाँक- 08- 04- 2026

(जितेन्द्र यादव)
विशेष न्यायधीश(आव० वस्तु अधि०) /
अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया ।

दिनाँक- 08- 04- 2026

(जितेन्द्र यादव)
विशेष न्यायधीश(आव० वस्तु अधि०) /
अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।